न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 259/2021 दायर दिनाँक 14.09.2021

वादीया

1. मीरा देवी पत्नि रामनारायण
उम्र 40 वर्ष जाति जाट
निवासी राधोदास का बास,
दाउसर तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।
2. भू—प्रबंधक अधिकारी, डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 88 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीया।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 19.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीया राधोदास का बास निवासीनी है तथा कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती है।

यह है कि वादीया के खातेदारी का खेत खसरा सं0 02 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 3 रकबा 0.0700 हैक्टे0, खसरा सं0 4 रकबा 0.1300 हैक्टे0, खसरा सं0 5 रकबा 1.5600 हैक्टे0, खसरा सं0 8 रकबा 0.1400 हैक्टे0, खसरा सं0 17/281 रकबा 0.2800 हैक्टे0 कुल रकबा 2.5900 हैक्टे0 वाकै सरहद राधोदास का बास पटवार क्षैत्र दाउसर भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र धनकोली में अवस्थित है।

यह है कि वादीया के उक्त खेत में अभी वर्तमान में आये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वादीया के खेत में बिना किसी अधिकार क्षैत्र के वादीया के खेत में वाद में प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी एक पृथक से खेत का टुकड़ा दर्शा कर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया, जबकि वास्तविक रूप से उक्त सीन पर किसी प्रकार का कोई रास्ता न तो कभी था और न ही है, यह भूमि वादिया के खेत का ही भाग है। सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने बिना किसी अधिकार क्षैत्र के वर्तमान सेटलमेन्ट में खसरा सं0 4 रकबा 0.1300 हैक्टे0 व खसरा सं0 08 रकबा 0.1400 हैक्टे0 रास्ता दर्ज कर दिया, जबकि उक्त भूमि काश्त की है, मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है।

यह है कि सेटलमेन्ट अधिकारियों को भूमि की किस्म में परिवर्तन करने का व राजस्व रेकर्ड में छेड़छाड़ का कोई अधिकार नही था, फिर भी राजस्व रेकर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों ने राजस्व रेकर्ड की भूमि में छेड़छाड़ कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि वादीया की प्रार्थना निम्न है:–

यह है कि खेत खसरा नम्बर 4 रकबा 0.1300 हैक्टे0, खसरा सं0 8 रकबा 0.1400 हैक्टे0 वाकै सरहद राधोदास का बास की भूमि में राजस्व रेकर्ड में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है, को राजस्व रेकर्ड से गैर मुमकिन रास्ता हटाया जाकर मार्क ए से बी भूमि जो रास्ता रेकर्ड में रास्ते की दर्ज सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के की गई है, उसे वादीनी की खातेदारी में दर्ज करने की डिक्री सादर फरमावें।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा नम्बर 4 रकबा 0.1300 हैक्टे0, खसरा सं0 8 रकबा 0.1400 हैक्टे0 वाकै सरहद राधोदास का बास की भूमि में राजस्व रेकर्ड में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है, को राजस्व रेकर्ड से गैर मुमकिन रास्ता हटाया जाकर मार्क ए से बी भूमि वादीया की खातेदारी की भूमि घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **19.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **259/2021** दायर दिनाँक **14.09.2021**

वादीया		**प्रतिवादीगण**
1. मीरा देवी पत्नि रामनारायण उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी राधोदास का बास, दाउसर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना। 2. भू—प्रबंधक अधिकारी, डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 88 R.T.Act.

दिनाँक **19.09.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीया की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा नम्बर 4 रकबा 0.1300 हैक्टे0, खसरा सं0 8 रकबा 0.1400 हैक्टे0 वाकै सरहद राधोदास का बास की भूमि में राजस्व रेकर्ड में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है, को राजस्व रेकर्ड से गैर मुमकिन रास्ता हटाया जाकर मार्क ए से बी भूमि वादीया की खातेदारी की भूमि घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **19.09.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मि[illegible]		

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर [illegible] की गई [illegible] की मार्फत जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner